10/05/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी क्र. 15,16 व 17 के वकील उप. उनके द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज भू. राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस की गई अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 12/5/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

CN 1/2022

12/5/23

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप. प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा.मि. किया गया।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से खत्म हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01 / 2022

1. केसर सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. ज्ञान कवंर पत्नि स्व0 अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. देवी सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. प्रताप सिंह पुत्र स्व0 अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. भगवान सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. मोहन सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनुज पाण्डया पुत्र चेतन प्रकाश पाण्डया जाति जैन निवासी देव डूंगरी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. दीपक पाण्डया पुत्र चेतन प्रकाश पाण्डया जाति जैन निवासी देव डूंगरी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. भागचन्द पुत्र मादू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. मनभर देवी पुत्री मादू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. मोहनी देवी पुत्री मादू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. स्याणी देवी पुत्री मादू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. अणदाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सिमारो की ढाणी, खुण्डियावास, तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
8. जोराराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी पुलिस चौकी के सामने, वार्ड नम्बर 1, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
9. सूजाराम पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी श्रीराम कॉलोनी, गांधी नगर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
10. हीराराम पुत्र झूमरराम जाति जाट निवासी मोरडी खुदरी, तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
11. कविता शर्मा पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 63, पृथ्वीराज नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. रामअवतार छापरवाल पुत्र रामपाल छापरवाल जाति महाजन निवासी पृथ्वीराज नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
13. श्रीमती सूरज भण्डारी पत्नि श्याम सुन्दर भण्डारी जाति महाजन निवासी पृथ्वीराज नगर, पावर हाऊस के सामने, अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
14. गीतू छापरवाल पत्नि रामअवतार छापरवाल जाति महाजन निवासी पृथ्वीराज नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

15. अनिल कुमार जैन पुत्र उम्मेदमल जाति जैन निवासी अजमेर रोड़, दूदू जिला जयपुर राज0 मैसर्स श्रीगुणसागर इन्टरनेशनल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये साझेदार
16. कल्पना पाटनी पत्नि महेन्द्र पाटनी जाति जैन निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 मैसर्स श्रीगुणसागर इन्टरनेशनल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये साझेदार
17. राजेश कुमारी पत्नि विमल कुमार जाति जैन निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 मैसर्स श्रीगुणसागर इन्टरनेशनल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये साझेदार
18. सुनिल कुमार जैन पुत्र मदनलाल जाति जैन निवासी बजाज रोड़, सीकर राज0 मैसर्स श्रीगुणसागर इन्टरनेशनल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये साझेदार
19. अशोक कुमार मालू पुत्र गोपाल मालू जाति माहेश्वरी निवासी महेश नगर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
20. ज्ञानचन्द जैन पुत्र मदनलाल जैन जाति जैन निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
21. सार्वजनिक निर्माण विभाग, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
22. हेमलता देवी पत्नि प्रकाश चन्द जाति जैन निवासी 110/15, मित्तल सदन, बालाजी मन्दिर के पास, बालाजी चौक, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
23. पिंकी जैन पत्नि अशोक कुमार जाति जैन निवासी 83/15, मित्तल सदन, बालाजी मन्दिर के पास, बालाजी चौक, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
24. तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 12/04/2023

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा — प्रार्थीगण अभिभाषक

श्री इन्द्रेश कुमार — अप्रार्थी सं0 15, 16, 17 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील परमानन्द शर्मा के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि ख0नं0 943 रकबा 2.3704 है0 बारानी 2 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा निहित होकर उक्त भूमि खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ख0नं0 941 की भूमि, दक्षिण–पूर्व कोणे में अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ख0नं0 942 की भूमि, पूर्व दिशा में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 7 से 10 की ख0नं0 948/6 की भूमि, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 11 की ख0नं0 944/5 व 944/4 की भूमि, अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की ख0नं0 944/3 की भूमि, अप्रार्थी संख्या 14 की ख0नं0 944/2 व 944/1 की भूमि, अप्रार्थी संख्या 15 से 18 की ख0नं0 945 की भूमि, अप्रार्थी संख्या 19 व 20 की ख0नं0 946/3 की भूमि एवं पश्चिम दिशा में ख0नं0 935 की गै0मु0 सड़क होकर अप्रार्थी संख्या 21 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के पडौसी भूमि के खातेदारो/हिस्सेदारो/मालिको के मध्य विवाद होने के कारण एक दूसरे की भूमि पर अवैध रूप से घूसने का प्रयास करते रहते है जिसके कारण कई मर्तबा आपस में कहासुनी होकर, विवाद होकर लडाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण से प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के यहां ख0नं0 943 के बाबत सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया गया था जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 27.10.2021 को आदेश जारी कर भूमि का 7 दिवस में सीमा ज्ञान करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.11.2021 को राजस्व अधिकारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गये थे परन्तु उक्त से विवाद का निस्तारण नहीं हुआ प्रार्थी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार किशनगढ़ के यहां सीमाज्ञान आवेदन पर सीमाज्ञान होकर सीमा स्थिर नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 20 की भूमि के मध्य सीमाज्ञान होकर विधि रूप से सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 20 के मध्य सीमा विवाद बना हुआ है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कैलाश कंवर पुत्री भैरू सिंह, रूप कवंर पुत्री भैरू सिंह व सायर कवंर पुत्री भैरू सिंह का भी हिस्सा निहित था जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हा रखा है। कैलाश कवंर पुत्री भैरू सिंह व रूप कवंर पुत्री भैरू सिंह के द्वारा अपने हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2021 पंजीयन दिनांक 01.10.2021 के जरिये अप्रार्थी संख्या 22 को तथा सायर कवंर पुत्र भैरू सिंह के द्वारा अपने हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय दिनांक 28.09.2021 पंजीयन दिनांक 01.10.2021 के जरिये अप्रार्थी संख्या 23 को विक्रय कर दिया गया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को पक्षकार बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 24 भूमिधारी है एवं राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 24 के नियंत्रण व निर्देश में होने एवं न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 24 के द्वारा की जानी है इस कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता तहसील

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 943 रकबा 2.3704 हैक्टेयर बारानी 2 का अप्रार्थी सं0 24 से नाप चॉप कर पत्थर गढी करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करवाये जावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 12 एवं 14 की ओर से वकील श्री रविकान्त शर्मा द्वारा वकालतनामा एवं 15, 16 व 17 की ओर से वकालतनामा एवं दिनांक 16.01.2023 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 22 एवं 23 की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 12, 14, 22, 23 एवं 24 को जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाव पेश नही करने के कारण दिनांक 24.01.2023 को जबाव का अवसर बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं 18 लगायत 21 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं 18 लगायत 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3.1 अप्रार्थी सं0 15, 16, 17 की ओर से जबाव पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण ने न्यायालय से दुर्भावयुक्त रूप से अपूर्ण तथ्यों का अंकन किया है एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुक्रम में उपरोक्त खसरा संख्या 443 के बाबत् अवधारर्णीय नही है एवं वादग्रस्त भूमि वाद संस्थन पूर्व ही उपरोक्त भूमि में से विभिन्न भूमि का कृषि से गैर कृषक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि जिसका संपरिवर्तत भूमि के बाबत् न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होते है एवं वादग्रस्त भूमि में से रास्ते सहित अन्य अधिकारो बाबत् न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा संस्थित अपील पुनः न्यायालय को विचारण के लिये सम्प्रेषित की गयी थी। जो न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये लंबित है एवं यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय के पारित आदेश को समाप्त किये जाने की दुर्भावयुक्त से प्रस्तुत की गयी है एवं प्रार्थीगण ने इसका जानबूझकर हस्तगत प्रार्थना पत्र में समुचित रूप से बउल्लेख नहीं किया है एवं प्रार्थीगण उपरोक्त ख0नं0 943 के अनुसंलग्न रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्वयं की भूमि मे सम्मिलित कर आवागमन के रास्ते को संकुलित करना चाहता है एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र संस्थन दिनांक को विधिवत रूप से उपरोक्त ख0नं0 943 के खातेदार व आधिपत्यधारी नहीं थे। उपरोक्त ख0नं0 943 के खातेदार व आधिपत्यधारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

नहीं थे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से काफी भाग का संपरिवर्तन होकर उस पर उद्योग स्थापित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त ख0नं0 943 के अनुसंलग्न अन्य भूमि जिसका उल्लेख किया है वह कृषि श्रेणी की नहीं होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुकी है एवं उस पर निर्माण भी हो चुका है। जिसके रहते हुये निर्मित क्षेत्र पर जरीब चलाया जाना किसी भी रूप में न तो विधि न ही तथ्य परक रूप से अनुज्ञात है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट रूप से न्यायालय से जानबूझकर अंकित नहीं किया है कि, प्रार्थना पत्र में वर्णित मूल आधारित भूमि का स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अन्तरण किया जा चुका है। यह पहलू प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया गया है। यह पहलू सुस्थापित है कि, जो पक्षकार न्यायालय से तथ्य को छिपाता है वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दुर्भावयुक्त आशय से संस्थित किया गया है एवं कोई वाद उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थीगण ने कपोल कल्पना पर वाद कारण उल्लेखित करते हुये वास्तवित तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। वास्तविकता तो यह है कि, प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र की आड में ख0नं0 943 के अनुसंलग्न रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्वयं की भूमि में सम्मिलित कर आवागमन के रास्तें को संकुचित करना चाहता है। जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। अतः जवाबकर्ता द्वारा कृषि से भिन्न श्रेणी की भूमि के बाबत् प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष अवधारर्णीय नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि के पडौसी भूमि के खातेदारो/हिस्सेदारो/मालिको के मध्य विवाद होने के कारण एक दूसरे की भूमि पर अवैध रूप से घूसने का प्रयास करते रहते है जिसके कारण कई मर्तबा आपस में कहासुनी होकर, विवाद होकर लडाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण से प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के यहां ख0नं0 943 के बाबत सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया गया था। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.11.2021 को राजस्व अधिकारी सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर गये थे परन्तु उक्त से विवाद का निस्तारण नहीं हुआ प्रार्थी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार किशनगढ़ के यहां सीमाज्ञान आवेदन पर सीमाज्ञान होकर सीमा स्थिर नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पड़ौसी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

खातेदारो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 20 की भूमि के मध्य सीमाज्ञान होकर विधि रूप से सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 20 के मध्य सीमा विवाद बना हुआ है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 943 रकबा 2.3704 हैक्टेयर बारानी 2 का अप्रार्थी सं0 24 से नाप चॉप कर पत्थर गढी करवाकर सीमा चिन्ह अंकित करवाये जावे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 से 5 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय से दुर्भावयुक्त रूप से अपूर्ण तथ्यों का अंकन किया है एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुक्रम में उपरोक्त ख0नं0 443 के बाबत् अवधारर्णीय नही है एवं वादग्रस्त भूमि वाद संस्थन पूर्व ही उपरोक्त भूमि में से विभिन्न भूमि का कृषि से गैर कृषक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि जिसका संपरिवर्तत भूमि के बाबत् न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होते है एवं वादग्रस्त भूमि में से रास्ते सहित अन्य अधिकारो बाबत् न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा संस्थित अपील पुनः न्यायालय को विचारण के लिये सम्प्रेषित की गयी थी। जो न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये लंबित है एवं यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय के पारित आदेश को समाप्त किये जाने की दुर्भावयुक्त से प्रस्तुत की गयी है एवं प्रार्थीगण ने इसका जानबूझकर हस्तगत प्रार्थना पत्र में समुचित रूप से बउल्लेख नहीं किया है एवं प्रार्थीगण उपरोक्त ख0नं0 943 के अनुसंलग्न रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्वयं की भूमि मे सम्मिलित कर आवागमन के रास्ते को संकुलित करना चाहता है एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र संस्थन दिनांक को विधिवत रूप से उपरोक्त ख0नं0 943 के खातेदार व आधिपत्यधारी नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त ख0नं0 943 के अनुसंलग्न अन्य भूमि जिसका उल्लेख किया है वह कृषि श्रेणी की नहीं होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुकी है एवं उस पर निर्माण भी हो चुका है। जिसके रहते हुये निर्मित क्षेत्र पर जरीब चलाया जाना किसी भी रूप में न तो विधि न ही तथ्य परक रूप से अनुज्ञात है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट रूप से न्यायालय से जानबूझकर अंकित नहीं किया है कि, प्रार्थना पत्र में वर्णित मूल आधारित भूमि का स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अन्तरण किया जा चुका है। यह पहलू

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया गया है। यह पहलू सुस्थापित है कि, जो पक्षकार न्यायालय से तथ्य को छिपाता है वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता है। प्रार्थीगण ने कपोल कल्पना पर वाद कारण उल्लेखित करते हुये वास्तवित तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। वास्तविकता तो यह है कि, प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र की आड में ख0नं0 943 के अनुसंलग्न रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व अधिकारियों से मिलकर स्वयं की भूमि में सम्मिलित कर आवागमन के रास्तें को संकुचित करना चाहता है। जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। अतः जवाबकर्ता द्वारा कृषि से भिन्न श्रेणी की भूमि के बाबत् प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष अवधारर्णीय नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। जवाबकर्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस के दौरान उठाये गये उज्र की प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है के संबंध में जवाबकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबुत पेश नहीं किया गया है। ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि ख0नं0 943 रकबा 2.3704 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 943 रकबा 2.3704 हैक्टेयर भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 943 रकबा 2.3704 हैक्टेयर का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/04/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)